पत्रांक : 10/व 1–45/2014.......

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

आशुतोष कुमार,
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक..........................2014

विषय : स्कूलों में चमड़ों के जूतों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने एवं उसके स्थान पर जानवरों एवं पृथ्वी के अनुकूल कैनवास जूतों का प्रयोग करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया हर कदम एक प्रशंसनीय पहल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चमड़े से जुड़ें उत्पादों के उत्पादन के क्रम में पशु धन का भयावह विनाश होता है, जिससे पर्यावरण चक्र पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही जीव/जन्तुओं से प्राप्त चमड़े से विभिन्न उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में भारी मात्रा में हानिकारक रासायनिक पदार्थो का भी इस्तेमाल होता है, जो कम उम्र के बच्चों के लिए अस्वास्थ्यप्रद हो सकता है।

अतएव राज्य के विद्यालयों में पठन–पाठन में संलग्न छात्र/छात्राओं को चमड़ों के जूतों के स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल कैनवास जूतों का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना श्रेयस्कर होगा। कैनवास जूते पहनने में आरामदायक, टिकाऊ एवं अपेक्षाकृत सस्ते भी हैं।

अतएव अपने क्षेत्राधीन सभी विद्यालयों में चमड़े के जूतों के स्थान पर कैनवास जूतों के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आशुतोष कुमार)
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक 870 पटना, दिनांक 15.10.2014

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सचिव, बिहार विद्यालय परिक्षा समिति, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वरीय शिक्षा समन्वयक, पेटा, मुम्बई–400049 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15-10-2014
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।